प्रेषक,

अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल।

पत्रांक/सेवा0अराज0/413-25/3 ख (4)/स्थाना0/2025-26 दिनांक 08 मई 2025

विषय– **वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025-26 के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल में कार्यरत कनिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ सहायकों के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिये विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम –2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025–26 के लिये गढ़वाल मण्डलान्तर्गत कार्यरत कनिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ सहायक के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के संदर्भ मे इच्छुक कार्मिकों से आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. अनिवार्य स्थानान्तण हेतु पात्रता सूची एवं रिक्ति की सूची विभागीय वैबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर ली गयी है। जिन कार्मिकों के नाम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में हैं, वे अपना विकल्प पत्र, संबंधित संस्थाध्यक्ष, खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित करवाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 को **दिनांक 15.05.2025 को सांय 5.00 बजे तक** उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 अपने जनपद के विकल्प पत्र **दिनांक 20.05.2025 को सांय 5.00 बजे** तक कार्यालय अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले विकल्प पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं उपलब्ध रिक्त पदो के सापेक्ष कार्मिक का अनिवार्य स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। जो कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–7 घ तथा शासनादेश संख्या–289938 दिनांक 15 अप्रैल 2025 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार गम्भीर रोगग्रस्त/दिव्यांग कार्मिक/पुत्र पुत्री दिव्याग/सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी/एकल अभिभावक (विधवा/विधुर)/शहीदों/बलिदानियों की विधवाओं का अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट चाहते हैं, वे स्थानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संबधितं संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर दिनांक **20.05.2025 को सांय 5.00 बजे** तक कार्यालय अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढवाल मण्डल पौडी को प्रस्तुत कर दें। शासनादेश संख्या–130236 दिनांक 15 जून 2023 के अनुसार स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3 (घ) से संबंधित सक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर ही स्थानान्तण में छूट/स्थानान्तरण किये जायेंगे। उक्त कार्मिक के

द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम/समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में छूट/प्राविधानों के तहत गम्भीर बीमारी के प्रमाण पत्र के साथ–साथ (with follow up document) उपलब्ध कराये जाने के बाद ही स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर स्थानान्तरण से छूट /स्थानान्तरण किये जायेंगे।

2. वैबसाईट में प्रदर्शित रिक्तियों में यदि कोई त्रुटि हो/पद रिक्त न होने की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 तत्काल मण्डल कार्यालय को साक्ष्य सहित अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे।
3. निदेशालय द्वारा दिनांक 26.04.2025 को वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति सूची निर्गत की गयी। जिसमें कार्मिकों को 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश के कम में कतिपय कामिकों की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना अप्राप्त होने के कारण वरिष्ठ सहायक पद की रिक्ति की सूचना पृथक से निर्गत कर वैबसाईट पर अपलोड की जायेगी।
4. ऐसे कार्मिक जो अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने के इच्छुक हों, वे निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष, खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी ,प्रा0शि0 को दिनांक 15.05.2025 को सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण संबंधी समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 द्वारा वाहक के माध्यम से दिनांक 20.05.2025 को सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढवाल मण्डल, पौड़ी को उपलब्ध करायेंगे।
6. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले कार्मिक अनुरोध की जिस श्रेणी में आवेदन करना चाहते हों, वे उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवेदित श्रेणी से संबंधित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन पत्रों पर सक्षम स्तर से संस्तुति सहित अग्रसारित होने पर विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही मण्डल कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।
8. बिना उचित माध्यम के सीधे मण्डल कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं इस संबंध में संबंधित कार्मिक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन करने वाले समस्त कार्मिक विभागीय वैबसाईट से रिक्तियों का अवलोकन करने के उपरान्त ही विकल्प पत्र में रिक्तियों की अंकना करें।
10. प्रत्येक कार्मिक द्वारा विकल्प पत्र मे अधिकतम 10 विकल्पो को ही भरा जाना है। स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले समस्त कार्मिकों को अपने आवेदन पत्र के साथ–साथ पोर्टल की अद्यतन प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जानी अनिवार्य है।

11. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त कार्मिकों की सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है। स्थानान्तरण शासनादेश संख्या–1/289938/xxx(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

12. **संबधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पात्रता सूची का भली–भांति परीक्षण कर लें। पात्रता सूची में यदि किसी कार्मिक का नाम, पदनाम, आदि तथा वर्तमान तैनाती का विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित हो तथा कोई कार्मिक सेवानिवृत्त/अन्य कारण से कार्यरत न हो, तो इस संबंध में 03 दिन के भीतर अपनी स्पष्ट आख्या तद्संबंधी प्रमाण पत्र सहित मण्डल कार्यालय की ई–मेल आई0डी0 adbasic2013@gmail.com अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित कार्मिक, पोर्टल पटल सहायक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी तत्काल प्रस्तावित की जा सके।**

संलग्नः–अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची, आवेदन पत्र, रिक्त पदों की सूची।

भवदीय

8/5/25

श्रीमती (कंचन देवराड़ी)
अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पृ0सं0/सेवा0अराज0/413-25/3 ख (4)/स्थानान्तरण/2025–26 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गढ़वाल मण्डल।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0, गढ़वाल मण्डल।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल। **(द्वारा संबंधित जि0शि0अधि0, मा0शि0)**
11. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल। **(द्वारा संबंधित जि0शि0अधि0, प्रा0शि0)**
12. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, गढ़वाल मण्डल। **(द्वारा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी)**

8/5/25

श्रीमती (कंचन देवराड़ी)
अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।